

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 483]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 सितम्बर 2017—भाद्र 15, शक 1939

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2017

सूचना

क्र. एफ 16-3-2017-बाईस-पं-2.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 01 सन् 1994) की धारा 43 के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश पंचायत (उपसरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 जो कि उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किये जा चुके हैं, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 10 के उपनियम (1) में शब्द "तीस" के स्थान पर, शब्द "पन्द्रह" स्थापित किया जाएं.

NOTICE

No F-16-3-2017-XXII-P-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with Section 43 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), the State Government, hereby, make the following amendment in the Madhya Pradesh Panchayats (Up-Sarpanch, President and Vice-President) Nirvachan Niyam, 1995, the same having been Previously published as required by sub-Section (3) of Section 95 of the said Adhiniyam, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules, in rule 10, in sub-rule (1), for the word "thirty" the word "fifteen" shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मसूद अख्तर, अपर सचिव.